स्व.निग. 2640/दो/2013

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : अशीष श्रीवास्तव

स्व0 निगरानी प्रकरण कमांक–2640–दो–2013 विरूद्ध आदेश दिनांक 14.09.2007 पारित द्वारा तहसीलदार दतियां के प्रकरण कमांक–14/अ–6अ/06–07

.....

1–नन्दराम पुत्र श्री डरूराम जाति बरार,
निवासी ग्राम उदगवॉ तहसील व जिला दतिया म0प्र0

————आवेदक

विरूद्ध

1–सलीम खॉ पुत्र श्री मुन्ना खॉ पूर्व हल्का पटवारी,
ग्राम उदगवां, वर्तमान पदस्थापना तह0 व जिला दतियां म0प्र0 ।

————अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 17.09.2015 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार दतिया के प्र.क.–14/अ–6–अ/06–07 पारित आदेश दिनांक 14.09.2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

उक्त प्रकरण में तहसीलदार दतियां के द्वारा पारित आदेश दिनाक–14.09.2007 का कियान्वयन न होने से स्व. निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुई है । प्रकरण में आवेदक द्वारा स्वयं उपस्थित होकर लिखित तर्क प्रस्तुत कर यह निगरानी स्वीकार करने का निवेदन किया गया है ।

मेरे द्वारा प्रकरण के अभिलेखों एवं तर्को पर पूर्ण विचार किया गया । तहसीलदार दतिया द्वारा उनके प्रकरण कमांक–14/94–95 /अ–3 में दिनांक–14.9.07 को स्पष्ट आदेश पारित करते हुए निगरानीकर्ता नंदराम के पक्ष में सर्वे कमांक–3245/2 का रकवा 1.03 है0 होना निर्णीत किया है तथा इसी आदेश में इस बावत् "पटवारी अभिलेख में प्रविष्टि हो" ऐसा उल्लेख किया है ।

निगराकार के आवेदन में अनावेदक हल्का पटवारी सलीम खां को बनाया गया है क्योंकि उन्होंने तहसीलदार के आदेश का कियान्वयन नहीं किया । निगरानी आवेदन अनुसार हल्का पटवारी ने तहसीलदार के आदेश दिनांक–14.9.07 के अनुसार प्रविष्टि नहीं की एवं नंदराम का रकवा कम कर दिया । नन्दराम ने इसके विरूद्ध अपर तहसीलदार के समक्ष प्रकरण दर्ज कराया जिसकी फाइल 5–6 माह में गायब हो

गयी । गायब फाइल की जानकारी हेतु नन्दराम ने एस.डी.ओ एवं कलेक्टर के समक्ष निवेदन किया । कलेक्टर ने अपर कलेक्टर को प्रकरण अंतरित कर दिया एवं अपर कलेक्टर ने 16.1.13 को यह लिखकर प्रकरण समाप्त कर दिया कि धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण सुनवाई का अधिकार राजस्व मण्डल को है, उन्हें नहीं ।

प्रकरण में सम्पूर्ण विचारोपरांत मेरे द्वारा यह आदेश दिया जाता है कि कोई अन्य विधिक बाधा नहीं होने की स्थिति में तहसीलदार दतिया के आदेश दिनांक–14.9.07 का कियान्वयन अब 2 माह के भीतर पूर्ण किया जाए एवं निगरानी कर्ता आवेदक नंन्दराम को उनके वैधानिक अधिकार इस अवधि के भीतर दिया जाना सुनिश्चित किया जाए । तहसीलदार का आदेश जो दिनांक–14.7.09 को पारित हुआ था, से वर्तमान में 8 वर्ष पूरे हो रहे है यदि कोई अन्य विधिक बाधा नहीं है तो 8 वर्ष की लम्बी अविधि तक किसी आदेश का कियान्वयन नही कराकर किसी पक्षकार को उसका हक नहीं दिलवाने की स्थिति के प्रति इस न्यायालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की जाती है । निगराकर्ता नन्दराम द्वारा निगरानी आवेदन में यह कहा गया है कि उसने अपर तहसीलदार के समक्ष दिनांक–9.1.09 को पटवारी द्वारा अभिलेख 14.9.07 के निर्णय अनुसार दुरूस्त नहीं किए जाने बाबत् एक प्रकरण दर्ज कराया था जिसके अभिलेख 4–6 माह में गायब कर दिये गये । इस बात को लेकर नन्दराम द्वारा एस.डी.ओ. एवं कलेक्टर के समक्ष भी निवेदन किया गया किन्तु किसी भी स्तर पर न तो खोए हुए अभिलेख ढूढने के लिए और न ही निगराकर्ता नंदराम को तहसीलदार के निर्णय दिनांक–14.9.07 अनुसार उसके अधिकार दिलाने के लिए गत 8 वर्ष में कोई ठोस कार्यवाही की जाना परिलक्षित हो रहा है । इस सब के चलते, जिले के भीतर राजस्व प्रशासन एवं न्याय की कलेक्टर से पटवारी तक की समूची कार्य प्रणाली की असफलता परिलक्षित हो रही है । भविष्य में ऐसा न हो इस पर समस्त संबंधित शासकीय सेवकों को ध्यान देना होगा । उपरोक्त टिप्पणियों एवं निर्देशों के साथ यह प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाताहै।

17.09.2015

(आशीष श्रीवास्तव)

सदस्य

राजस्व मण्डल,मध्य प्रदेश, ग्वालियर